

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

2021 भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने उच्चतम न्यायालय के नौ नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। उच्चतम न्यायालय के इतिहास में पहली बार एक साथ नौ न्यायाधीशों ने शपथ ली है।

नौ नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या, मुख्य न्यायाधीश सहित 33 हो गई है। ज्ञात हो, कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 निर्धारित की गयी है।

शपथ ग्रहण करने वाले न्यायाधीशों में तीन महिला न्यायाधीश थीं, जिनमें से एक, न्यायमूर्ति वी.वी. नागरत्ना, वर्ष 2027 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण कर सकती हैं। इसके अलावा, शीर्ष अदालत में एक साथ चार महिला न्यायाधीश पहली बार कार्य करेंगी।

पहली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा शपथ ग्रहण समारोह के सीधे प्रसारण की अनुमति दी गयी।

‘कॉलेजियम प्रणाली’:

‘कॉलेजियम प्रणाली’ (Collegium System), न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधी एक पद्धति है, जो संसद के किसी अधिनियम अथवा संविधान के किसी प्रावधान द्वारा गठित होने के बजाय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा की जाती है, और इसमें न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

उच्च न्यायालय कॉलेजियम के अध्यक्ष संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और इसमें संबंधित अदालत के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है, कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् तथा मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी।

न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली का विकास:

प्रथम न्यायाधीश मामला (First Judges Case-1981): इसमें निर्धारित किया गया कि, न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सुझाव की “प्रधानता” को “अकाट्य तर्क” मौजूद होने पर अस्वीकार किया जा सकता है। इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।

दूसरा न्यायाधीश मामला (Second Judges Case-1993): सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की, कि, ‘परामर्श’ शब्द का अर्थ वास्तव में “सहमति” है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह मुख्य न्यायाधीश (CJI) की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।

तीसरा न्यायाधीश मामला (Third Judges Case-1998): वर्ष 1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी रेफरेंस (Reference) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल किए गए।

इरावदी डॉल्फिन

संदर्भ:

हाल ही में, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ओडिशा तट पर अवस्थित ‘चिल्का झील’ (Chilika Lake) में इरावदी डॉल्फिन मृत पाई गई हैं। यह पिछले 8 महीने में, चिल्का झील में डॉल्फिन की 8वीं मौत है।

इरावदी डॉल्फिन के बारे में:


‘इरावदी डॉल्फिन’ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड सूची के

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

अनुसार 'लुप्तप्राय' या संकटग्रस्त (Endangered) हैं, भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध है। इरावदी डॉल्फिन (Irrawaddy Dolphins), दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों, तथा तीन नदियों: इरावदी

(म्यांमार), महाकम नदी (इंडोनेशियाई बोर्नियो) और मेकांग नदी (चीन) में पाई जाती हैं

'इरावदी डॉल्फिन' की चिल्का संकेंद्रित लैगून आबादी, ओडिशा झील और दक्षिणी थाईलैंड की सोंगखला झील में पाई जाती है।



'चिल्का झील' के बारे में:

चिल्का, एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है और कई संकटग्रस्त पौधों और जीव प्रजातियों का वास स्थल है।

वर्ष 1981 में, चिल्का झील को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था।

चिल्का का प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉल्फिन हैं जिन्हें अक्सर सतपाड़ा द्वीप के नकदीक देखा जाता है।

इस लैगून क्षेत्र के लगभग 16 वर्ग किमी में एक नलबन द्वीप (सरकंडो का जंगल) है, जिसे वर्ष 1987 में एक 'पक्षी अभयारण्य'

(Nalbanda Bird Sanctuary) घोषित किया गया था।

कालिजई मंदिर – चिलिका झील में एक द्वीप पर स्थित है।

लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु लंबी प्रतीक्षा

संदर्भ:

लोकसभा में उपाध्यक्ष (Deputy-speaker) का पद पिछले कई महीनों से रिक्त है।

संबंधित प्रकरण:

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन नहीं कराने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। विदित हो

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

कि, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद पिछले 830 दिनों से रिक्त है।

लोकसभा उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) का पद रिक्त रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 का उल्लंघन है।

लोकसभा उपाध्यक्ष को सदन के अध्यक्ष के समान विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं, और मृत्यु, बीमारी या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, लोकसभा उपाध्यक्ष प्रशासनिक शक्तियों को ग्रहण करता है।

डिप्टी स्पीकर के निर्वाचन, सदन का उत्तरदायित्व होता है।

हाल के दिनों में, संसदीय परंपरा के अनुसार, लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर सामान्यतः सदन में प्रमुख विपक्षी दल के किसी सदस्य को चुना जाता है।

डिप्टी स्पीकर के चुनाव में देरी के लिए, विपक्ष की अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने की ताकत की कमी और वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा उपाध्यक्ष पद हेतु पर उपयुक्त उम्मीदवार को नामित करने के प्रति उदासीन रवैये को जिम्मेदार ठहराया गया है।

वर्तमान में, जब सदन में कार्यवाही के लिए अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो 'लोकसभा अध्यक्ष पैनल' में शामिल एक सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है।

संविधान में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करने हेतु 10 सदस्यों का एक पैनल गठित करने प्रावधान किया गया है।

लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में:

संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है।

लोकसभा उपाध्यक्ष का संवैधानिक पद वास्तविक प्राधिकरण की अपेक्षा

संसदीय लोकतंत्र का प्रतीकात्मक पद होता है।

किसी व्यक्ति के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर निष्पक्ष रहना होता है, हालांकि उसे अपनी मूल राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है।

भूमिका एवं कार्य:

लोकसभा अध्यक्ष के, बीमारी के कारण अवकाश अथवा मृत्यु हो जाने पर या किसी कारण से अनुपस्थित होने पर, उपाध्यक्ष, पीठासीन अध्यक्ष के रूप में कार्यों का निर्वहन करता है।

निर्वाचन:

प्रायः, आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक में लोकसभा के सदस्यों के मध्य से उपसभापति का चुनाव किया जाता है। संसद में बनी हुई परस्पर सहमति के अनुसार, उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल के किसी नेता को दिया जाता है।

कार्यकाल एवं पदत्याग:

लोकसभा अध्यक्ष की भांति, उपाध्यक्ष भी सदन के जीवनपर्यंत पद धारित करता है। हालांकि, वह निम्नलिखित तीन स्थितियों द्वारा अपना पद त्याग सकता है:

1. उसके सदन के सदस्य न रहने पर;
2. अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र द्वारा;
3. लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाये जाने पर। किंतु, इस प्रस्ताव को पारित करने से पूर्व उसे 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है।

ध्रुपद संगीत

ध्रुपद, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है जो आज तक अपने मूल रूप में जीवित है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

ध्रुपद संगीत की प्रकृति आध्यात्मिक होती है। इसका उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होता है, बल्कि यह श्रोता में शांति और आध्यात्मिक भावनाओं को जगाता है।

यह मुख्य रूप से पूजा का एक प्रकार होता है, जिसमें ध्वनि अथवा नाद के माध्यम से परमात्मा को प्रसाद चढ़ाया जाता है।

आरंभ में, ध्रुपद का गायन केवल मंदिरों में ईश्वर की प्रतिमा के समक्ष किया जाता था। ध्रुपद, अपने इस प्रारंभिक गायन से, संगीत के परिष्कृत शास्त्रीय रूप में विकसित हुआ है।

विशेषताएँ:

यह राग की शुद्धता बनाए रखने पर जोर देता है।

12वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य किसी काल में ध्रुपद की भाषा संस्कृत से ब्रजभाषा में परिवर्तित हो गई।

ध्रुपद की उत्पत्ति

यह भक्ति संगीत का एक रूप है, तथा इसकी उत्पत्ति का स्रोत प्राचीन ग्रन्थ सामवेद में मिलता है। सामवेद के श्लोकों का गायन राग और ताल से किया जाता था, जिसे 'सामगान' कहा जाता था।

धीरे-धीरे, इसमें प्रबंध तथा 'छंद' का प्रयोग होना आरंभ हुआ, जिससे अन्य गायन शैलियों का विकास हुआ। इन दोनों तत्वों के मिलन से ध्रुपद शैली का उदय हुआ।

मध्यकाल के दौरान ध्रुपद:

मध्यकालीन भारत में, ध्रुपद मुख्य रूप से मुगल और राजपूत राजाओं के संरक्षण में फल-फूला। बाद में, संगीत श्रोताओं की प्रवृत्ति 'ख्याल' शैली की ओर परिवर्तित हो जाने से ध्रुपद के प्रचलन में गिरावट आई।

ध्रुपद का प्रदर्शन

ध्रुपद का प्रदर्शन दो भागों में किया जाता है: अलाप और बंदिश। अलाप में, गायक संस्कृत मंत्र से शब्दांशों का उपयोग करता है, जिसे वह ध्वनि के साथ मिश्रित

करता है। राग, धीरे-धीरे और व्यवस्थित रूप से एक ध्यानावस्था में विकसित होता है।

'लॉजिस्टिक्स समझौते'

लॉजिस्टिक्स समझौते (Logistics Agreements), संबंधित देशों के मध्य, ईंधन के आदान-प्रदान हेतु सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने के लिए परस्पर समझौतों पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं।

इन समझौतों के माध्यम से, लॉजिस्टिक्स अर्थात् या सामरिक क्रियान्वयन रसद संबंधी सहायता में आसानी होती है और भारत को अपनी सीमा से दूर सैन्य-कार्रवाइयों के दौरान, परिचालन संबंधी सामग्री तेजी से पहुंचाई और वापस लाई जा सकती है।

भारत द्वारा वर्ष 2016 में अमेरिका के साथ 'लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट' (LEMOA) के साथ शुरुआत करते हुए सभी क्वाड देशों, फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के साथ कई लॉजिस्टिक्स समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। लॉजिस्टिक्स समझौतों के लाभ:

इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सर्वाधिक लाभ नौसेना के लिए मिला है। कई देशों के साथ हस्ताक्षरित 'लॉजिस्टिक्स समझौतों' की वजह से, परिचालन संबंधी सामग्री लाने और लेजाने की क्षमता में सुधार और, भारतीय सीमा से दूर गहरे समुद्रों में नौसेना की अंतर-संचालन क्षमता में वृद्धि हुई है।

'LEMOA' क्या है?

यह अमेरिका द्वारा कई सैन्य-सहयोगी संबंध रखने वाले देशों के साथ किए गए 'लॉजिस्टिक्स सहयोग समझौता' (Logistics Support Agreement – LSA) का भारत के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया संस्करण है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

'लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट' (Logistics Exchange Memorandum of Agreement – LEMOA) भारत और अमेरिका के मध्य हस्ताक्षरित 'तीन बुनियादी समझौतों' में से एक है।

LEMOA के तहत दोनों देशों को ईंधन भरने और आवश्यक सामग्री की पुनःपूर्ति के उद्देश्य से दोनों ओर निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने अनुमति दी गयी है।

भारत और अमेरिका के बीच बुनियादी समझौते:

अब तक, भारत ने अमेरिका के साथ तीन बुनियादी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं:

लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement- LEMOA)

संगतता और सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement - COMCASA)

सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (General Security of Military Information Agreement- GSOMIA) पर काफी समय पूर्व हस्ताक्षर किये गए थे। अंतिम 2+2 वार्ता में GSOMIA का विस्तार करते हुए औद्योगिक सुरक्षा अनुलग्नक (Industrial Security Annex-ISA) के लिए एक विस्तार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मांडा भैंस

'नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज' (NBAGR) ने मांडा भैंस (Manda buffalo) को भारत में पाई जाने वाली भैंसों की 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में मान्यता दी है।

यह नस्ल, पूर्वी घाटों और ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र के पठार में पायी जाती है।

मांडा नस्ल की भैंसे, परजीवी संक्रमण के प्रति प्रतिरोधी, बीमारियों के प्रति-कम संवेदनशील होती हैं और मामूली संसाधनों पर जीवित रह सकती हैं।

थामिराबरानी सभ्यता

(Thamirabarani civilization)

ताम्रपर्णी / थामिराबरानी / पोरुनई (Thamirabarani/ Porunai) तमिलनाडु में बहने वाली एक बारहमासी नदी है, जो पश्चिमी घाट (पोथिगई पहाड़ियों के अगस्त्यरकुडम शिखर) से निकलती है और तिरुनेलवेली और थूथुकुडी जिलों से गुजरने के बाद मन्नार की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है।

नदियों का सभ्यताओं के साथ एक अनूठा जुड़ाव रहा है। तिरुनेलवेली के दक्षिणी जिले में थामिराबरानी सभ्यता भी कोई अपवाद नहीं है।

चर्चा का कारण:

अमेरिका स्थित एक प्रयोगशाला में कार्बन-डेटिंग के नतीजों ने तमिलनाडु में इस प्राचीन सभ्यता से खोजे गए अवशेषों को कम से कम 3,200 वर्ष पुराना बताया है।

यह संभवतः सबसे पुरानी सभ्यता है, और 2,600 साल पुरानी माने जाने वाले 'वैगई सभ्यता' से भी पुरानी है।

मच्छरों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु CRISPR तकनीक

कैलिफ़ोर्निया स्थित शोधकर्ताओं ने नसबंदी के माध्यम से मच्छरों पर सुरक्षित रूप से नियंत्रण पाने हेतु 'क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट' (CRISPR) आधारित प्रणाली विकसित की है। इसे नई 'परिशुद्ध-निर्देशित अप्रजायी कीट तकनीक' (Precision-Guided Sterile insect technique) या pgSIT कहा जाता है।

कार्यविधि:

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

‘परिशुद्ध-निर्देशित अप्रजायी कीट तकनीक’ (pgSIT), मापनीय आनुवंशिक नियंत्रण करने वाली नयी प्रणाली है, जिसमें मच्छरों की आबादी का दमन करने हेतु ‘संवर्धित मच्छरों’ को चिह्नित स्थानों पर छोड़े जाने संबंधी CRISPR-आधारित पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

इस तकनीक में, नर कीट की प्रजनन क्षमता से जुड़े जीन में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे संवर्धित कीटों की नई पीढ़ी प्रजनन करने में सक्षम नहीं रहती है, अर्थात् ‘बंध्या’ हो जाती है। इस तरह से, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया और जीका सहित व्यापक बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार मच्छर प्रजाति ‘एडीज एजिप्टी’ के मादा मच्छरों से नए मच्छर पैदा नहीं होते हैं।

‘पीजीएसआईटी’ में नर मच्छरों का वंध्यीकरण करने / बधिया (sterilize) करने के लिए CRISPR का उपयोग किया जाता है, और बीमारी फैलाने वाली मादा मच्छरों को प्रजनन रहित बना दिया जाता है। इस तकनीक का महत्व:

pgSIT संवर्धित अंडों को मच्छर जनित बीमारी से खतरे वाले स्थान पर भेजा जा सकता है, अथवा आस-पास की जगहों पर छोड़े जाने के लिए इन जीन संवर्धित अंडों को किसी एक स्थान पर विकसित किया जा सकता है।

खुली जगहों पर pgSIT संवर्धित अंडों को छोड़े जाने के बाद इनमें से प्रजनन क्षमता-रहित संवर्धित नर मच्छर उत्पन्न होते हैं। इन मच्छरों के मादा मच्छरों से संभोग करने पर कोई अंडे पैदा नहीं होंगे और इस तरह से मच्छरों की आबादी को आवश्यकतानुसार कम किया जा सकेगा।

CRISPR तकनीक क्या है?

‘क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरसेप्टर शॉर्ट पालिंड्रोमिक रिपीट’ (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats- CRISPR) मूल

रूप से एक ‘जीन एडिटिंग तकनीक’ है, इसका उपयोग आनुवंशिक दोषों को ठीक करने और रोगों के प्रसार को रोकने और उपचार करने में किया जाता है।

महत्व:

CRISPR तकनीक जीनोम एडिटिंग के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है। यह तकनीक शोधकर्ताओं को DNA अनुक्रमों को आसानी से बदलने और जीन फंक्शन को संशोधित करने में सक्षम बनाती है। इस प्रौद्योगिकी को भविष्य में कई अन्य रोगजनकों का पता लगाने के लिए भी समनुरूप बनाया (Configured) जा सकता है। हालाँकि, इसका उपयोग ‘नैतिक चिंताओं’ को भी सामने लाता है।

यह तकनीक किस प्रकार कार्य करती है?

CRISPR प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक जानकारी रखने वाले डीएनए तंतुओं पर ‘कट-एंड-पेस्ट’ (cut-and-paste) क्रियाविधि की तरह कार्य करती है।

आनुवंशिक कूटों के जिस भाग को ‘एडिट’ करने या ‘परिवर्तित’ करने की जरूरत होती है, उसे डीएनए के कुंडलित तंतुओं पर चिह्नित किया जाता है, फिर ‘Cas9 प्रोटीन’, (जोकि एक कैंची की तरह काम करता है) का उपयोग करते हुए उस चिह्नित भाग को कुंडलित तंतुओं से काट कर अलग कर दिया जाता है।

डीएनए के कुंडलित तंतुओं में, विखंडन हो जाने या टूट जाने पर, स्वतः ही ठीक हो जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है।

इसी स्वतः मरम्मत या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, और आनुवंशिक कोड में वांछित अनुक्रम या परिवर्तन की क्रिया पूरी की जाती है, और अंततः यह वांछित अनुक्रम टूटे हुए डीएनए तंतुओं पर स्थापित हो जाता है।

संबंधित चिंताएं और मुद्दे:

1. यह तकनीक, मनुष्यों में इस्तेमाल होने पर यह विवादास्पद हो जाती है। क्षेत्र में अग्रणी

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

वैज्ञानिक लंबे समय से, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल विकसित होने तक, 'मनुष्यों पर प्रौद्योगिकी के नैदानिक अनुप्रयोगों' पर "वैश्विक विराम" लगाने की मांग कर रहे हैं।

2. अध्ययनों से पता चला है कि CRISPR-Cas9 तकनीक में एडिट की गयी कोशिकाएं कैंसर को जन्म दे सकती हैं।
3. यह तकनीक उन संसाधित कोशिकाओं में, कहीं और जीनोम उत्परिवर्तन के जोखिम को बढ़ा सकती है।
4. इस तकनीक के बारे में बहुत सी बातें अभी स्पष्ट नहीं हैं, जैसे कि कौन सी बीमारी या लक्षण, जीन एडिटिंग के लिए उपयुक्त है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिए।
5. नैतिक चिंताएं: इसके अलावा, अपने हित के लिए मानव भूणों में हेर-फेर करने संबंधी मामले सामने आने की भी चिंता है।

सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना (LSHP)

सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Subansiri Lower Hydroelectric Project – SLHEP), असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ बहने वाली सुबनसिरी नदी पर एक निर्माणाधीन गुरुत्व बांध (Gravity Dam) है।

सुबनसिरी नदी (स्वर्ण नदी), तिब्बत के पठार से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में मिरी पहाड़ियों से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है।

यह ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह परियोजना राज्य द्वारा संचालित 'राष्ट्रीय जल विद्युत निगम' (NHPC) द्वारा विकसित की जा रही है।

पूरा होने पर यह भारत का अकेला 'सबसे बड़ा जलविद्युत संयंत्र' होगा। इस परियोजना के 2023 में पूरा होने की उम्मीद है।

परियोजना से संबंधित विवाद:

निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना पर विरोध को दूरगामी बांध विरोधी आंदोलन के रूप में देखा जाता है। यह आरोप लगाया जाता है, कि यह बांध एक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है और इसे भूकंप को सहन करने की आवश्यक क्षमता के अनुरूप डिजाइन नहीं किया गया है। नदी में जल स्तर के उतार-चढ़ाव से भविष्य में निचले सुबनसिरी क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी असर पड़ने की आशंका है।

सारागढ़ी की लड़ाई

इस वर्ष 12 सितंबर को 'सारागढ़ी की लड़ाई' (Battle of Saragarhi) को 124 वर्ष पूरे हो गए। इस लड़ाई से देश-विदेश की सेनाएं प्रेरणा लेती है, और इसके ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और कई फिल्में भी बन चुकी हैं।

'सारागढ़ी का लड़ाई' के बारे में:

सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को लड़ा गया था। इसे विश्व के सैन्य इतिहास में सबसे बेहतरीन अंतिम मोर्चों में से एक माना जाता है।

इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के इक्कीस सैनिकों ने 8,000 से अधिक अफरीदी और ओरकजई कबायली लड़ाकों का मुकबला किया था, और उन्होंने सात घंटों तक किले पर कब्जा नहीं होने दिया।

हालांकि, गिनती में काफी कम होने के बावजूद, 36वीं सिख प्लाटून के सैनिकों ने हवलदार ईशर सिंह के नेतृत्व में अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, जिसमें 200 कबायली मारे गए और 600 से अधिक बुरी तरह से घायल हुए थे।

सारागढ़ी का महत्व:

सारागढ़ी का किला, 'फोर्ट लॉकहार्ट' और 'फोर्ट गुलिस्तान' के बीच स्थित संचार दुर्ग था।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

ऊबड़ खाबड़ 'उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत' (NWFP) में स्थित इन दोनों किलों (जो अब पाकिस्तान में हैं) का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था, बाद में अंग्रेजों ने इनका नाम परिवर्तित कर दिया था।

इन दोनों महत्वपूर्ण किलों में, 'उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत' के बीहड़ इलाके में बड़ी संख्या में तैनात किए जाने वाले ब्रिटिश सैनिक रहते थे, सारागढ़ी का किला, इन दोनों किलों में संपर्क कायम रखने में सहायक था।

इस युद्ध की विरासत:

तत्कालीन ब्रिटेन में मरणोपरांत वीरता पदक नहीं देने की परंपरा थी। इस परंपरा को तोड़ते हुए महारानी विक्टोरिया ने 36वीं सिख प्लाटून के 21 शहीद सैनिकों – गैर-सैनिक कार्य करने वाले शहीद को छोड़कर – के लिए प्रत्येक को 500 रुपये, दो 'मरबा' (50 एकड़) जमीन और 'इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' (विक्टोरिया क्रॉस के समान पदक) से सम्मानित किया।

कुछ दिनों के बाद, अंग्रेजों ने किले पर फिर से अधिकार कर लिया और सारागढ़ी की जली हुई ईंटों से शहीदों के लिए एक स्मारक स्तंभ का निर्माण करवाया।

अंग्रेजों ने इन शहीदों के सम्मान में अमृतसर और फिरोजपुर में गुरुद्वारों की स्थापना की।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

(National Commission for Minorities)

संदर्भ:

हाल ही में, पूर्व आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' (National Commission for Minorities – NCM) का अध्यक्ष चुना गया है।

NCM के बारे में:

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय

अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम', 1992 के अंतर्गत की गयी है।

यह आयोग, भारत के संविधान में प्रदत्त तथा संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा हेतु किए गए संरक्षोपायों के कामकाज की निगरानी करता है।

कृपया ध्यान दें, छह धार्मिक समुदायों, अर्थात्, मुस्लिम, ईसाई, सिख बौद्ध, पारसी और जैन को को पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

पृष्ठभूमि:

अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission) को गठित किए जाने संबंधी परिकल्पना वर्ष 1978 में गृह मंत्रालय के संकल्प-पत्र में की गई थी।

वर्ष 1984 में, 'अल्पसंख्यक आयोग' को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया और इसे नव निर्मित 'लोक कल्याण मंत्रालय' के अधीन रखा गया।

वर्ष 1992 में, 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (NCM अधिनियम), 1992' को अधिनियमित किया गया, और इसके तहत 'अल्पसंख्यक आयोग' को वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ साथ ही इसका नाम बदलकर 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' (NCM) कर दिया गया।

वर्ष 1993 में, पांच धार्मिक समुदायों अर्थात्, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था।

तत्पश्चात्, 27 जनवरी, 2014 को केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।

आयोग की संरचना:

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं और ये सभी अल्पसंख्यक समुदायों से चुने जाते हैं।

इनके अलावा, आयोग में केंद्र सरकार द्वारा सात अन्य प्रतिष्ठित, योग्य और सत्यनिष्ठ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु अन्य संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 15 और 16

अनुच्छेद 25

अनुच्छेद 26

अनुच्छेद 28

अनुच्छेद 29

अनुच्छेद 30

अनुच्छेद 350-B: 7वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम 1956 द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान में जोड़ा गया था। इसमें, भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है।

अल्पसंख्यक स्कूलों को 'शिक्षा का अधिकार नीति' लागू करने से छूट दी गई है और यह सरकार के 'सर्व शिक्षा अभियान' के अंतर्गत भी नहीं आते हैं।

जलवायु परिवर्तन पर 'ग्राउंडस्वेल' रिपोर्ट

(Groundswell report on climate change)

हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा जलवायु परिवर्तन पर 'ग्राउंडस्वेल' रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि धीमी गति से शुरू होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जैसेकि पानी की कमी, घटती फसल उत्पादकता और समुद्र स्तर में वृद्धि, आदि से

वर्ष 2050 तक लाखों लोग किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु एवं निष्कर्ष:

रिपोर्ट में "जलवायु प्रवासियों" के रूप में तीन अलग-अलग परिदृश्यों के तहत जलवायु कार्रवाई और विकास के अलग-अलग पहलुओं का वर्णन किया गया है। इसमें शामिल है:

उच्च स्तर के उत्सर्जन और असमान विकास के साथ सबसे निराशावादी परिदृश्य: रिपोर्ट में विश्लेषण के आधार पर अनुमान व्यक्त किया गया है, कि विश्व के छह क्षेत्रों में 216 मिलियन आबादी को अपने ही देशों में दूसरी जगहों पर पलायन करना पड़ सकता है। ये छह क्षेत्र, लैटिन अमेरिका; उत्तरी अफ्रीका; उप सहारा अफ्रीका; पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया; दक्षिण एशिया; और पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हैं।

उत्सर्जन के निम्न स्तर और समावेशी, सतत विकास सहित जलवायु के सर्वाधिक अनुकूल परिदृश्य: इस स्थिति में भी, पूरे विश्व में 44 मिलियन आबादी को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। सबसे खराब परिदृश्य: मरुस्थलीकरण, कमजोर समुद्रीय तटरेखा और कृषि पर आबादी की निर्भरता के कारण 'उप-सहारा अफ्रीका' सबसे संवेदनशील क्षेत्र होगा और इस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में प्रवासन होने की संभावना होगी, जिसके तहत 86 मिलियन आबादी अपने देशों की सीमाओं के भीतर ही विस्थापित हो सकते हैं।

अन्य प्रभाव:

आंतरिक जलवायु प्रवास के हॉटस्पॉट वर्ष 2030 तक काफी हद तक दृष्टिगोचर हो सकते हैं और वर्ष 2050 तक इनका काफी तेजी से विस्तार होता रहेगा।

रिपोर्ट में नीतिगत सिफारिशों की एक श्रृंखला भी दी गयी है, जो जलवायु प्रवास के कारकों को धीमा करने और अपेक्षित प्रवास-प्रवाह से निपटने हेतु तैयारी करने में मदद कर सकती है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

इन सिफारिशों में शामिल हैं:

वैश्विक उत्सर्जन को कम करना और पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना।

दूरदर्शी, हरित, लचीली और समावेशी विकास योजना में आंतरिक जलवायु प्रवासन को शामिल करना।

प्रवास के प्रत्येक चरण के लिए तैयारी करना, ताकि एक अनुकूलन रणनीति के रूप में आंतरिक जलवायु प्रवास के, सकारात्मक विकास परिणाम प्राप्त हो सकें।

अच्छी तरह से लक्षित नीतियों को बनाने हेतु, आंतरिक जलवायु प्रवास के कारकों की बेहतर समझ के लिए निवेश करना।

राष्ट्रीय अभियंता दिवस

(National Engineer's day)

हर साल 15 सितंबर को, भारत श्रीलंका और तंजानिया में महान इंजीनियर 'मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया' (Mokshagundam Visvesvaraya) की उपलब्धियों को मान्यता देने और उनका सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है।

यह दिवस, इंजीनियरों के महान कार्यों का अभिनंदन करने और उन्हें सुधार और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है।

'एम विश्वेश्वरैया' का जन्म 15 सितंबर, 1861 को कर्नाटक के मुद्दनहल्ली गांव में हुआ था।

सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में:

सिंचाई तकनीकों और बाढ़ आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ, 'सर एम विश्वेश्वरैया' एक महान सिविल इंजीनियर थे, और इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1912 से 1919 के मध्य मैसूर के 19वें दीवान के रूप में भी राज्य की सेवा की।

मैसूर के दीवान के रूप में सेवा करते हुए, वर्ष 1915 में उन्हें 'किंग जॉर्ज पंचम' द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के कमांडर के रूप में 'नाइट' की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

प्रमुख योगदान:

इन्होंने वर्ष 1903 में पुणे के समीप खडकवासला जलाशय में 'पानी के वहाव को रोकने हेतु दरवाजे' (water floodgates) सहित सिंचाई प्रणाली को स्थापित किया और इसका पेटेंट कराया।

ग्वालियर के तिगरा बांध और मैसूर के कृष्णराज सागर (KRS) बांध में भी यही प्रणाली स्थापित की गई थी। जिसके बाद 'कृष्णराज सागर बांध' उस समय एशिया के सबसे बड़े जलाशयों में से एक बन गया था। उन्होंने वर्ष 1917 में बेंगलूर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कॉलेज का नाम बाद में उनके नाम पर 'यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग' (UVCE) कर दिया गया।

उन्होंने 'तिरुमाला और तिरुपति' के बीच सड़क निर्माण की योजना तैयार की थी।

उन्होंने विशाखापत्तनम बंदरगाह को समुद्री कटाव से बचाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने मैसूर राज्य में कई नई रेलवे लाइनों को भी चालू किया।

उन्होंने 1895 में 'सुक्कुर नगर पालिका' के लिए वाटरवर्क्स का डिजाइन और निर्माण किया था।

इनकी विरासत:

भारत के निर्माण में उनके योगदान के लिए, सरकार ने उन्हें वर्ष 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया।

द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले एक बखतरबंद वाहन का टाटा स्टील के इंजीनियरों द्वारा अविष्कार किया था, यह वाहन गोलियों का सामना करने में सक्षम था। इस आविष्कार में सर विश्वेश्वरैया का महत्वपूर्ण योगदान था, इसे चिह्नित करते हुए वर्ष 2018 में, गूगल ने उनके महत्वपूर्ण कार्यों की स्मृति में उनके जन्मदिन पर एक डूडल लॉन्च किया।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

उन्हें लगातार 50 वर्षों के लिए लंदन इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता से सम्मानित किया गया।

उनके द्वारा लिखित पुस्तकें:

‘भारत का पुनर्निर्माण’ (Reconstructing India)

और ‘भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था’ (Planned Economy of India)।

‘राष्ट्रीय न्यास’

राष्ट्रीय न्यास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु ‘राष्ट्रीय न्यास अधिनियम’, 1999 के तहत की गई है।

‘राष्ट्रीय न्यास’ (नेशनल ट्रस्ट) को मुख्यतः दो मूलभूत कर्तव्यों – ‘विधिक’ और ‘कल्याणकारी’- के निर्वहन लिए स्थापित किया गया है।

‘राष्ट्रीय न्यास’ के लक्ष्य एवं उद्देश्य:

राष्ट्रीय न्यास के विशेष उद्देश्य निम्नलिखित हैं: –

समावेपी समाज का निर्माण करना जिसमें मानवीय विविधताओं का मान होता हो तथा निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को स्वतंत्रतापूर्वक सम्मान के साथ, अधिकारों एवं अवसरों में पूर्ण सहभागिता हेतु अधिकार प्राप्त कराना।

निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और समाज में पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करना।

निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को समर्थन प्रदान करना; और

निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के अभिभावकों की नियुक्ति तथा न्यासी प्रक्रिया को विकसित करना।

‘राष्ट्रीय न्यास अधिनियम’ (NTA) के अंतर्गत विकलांगता:

‘राष्ट्रीय न्यास’, निम्नलिखित चार विकलांगताओं में से किसी एक से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करता है:

1. स्वलीनता (Autism),
2. प्रमस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy),
3. मानसिक मंदता (Mental Retardation) और
4. बहु-विकलांगता (Multiple Disabilities)

‘आईपीओ ग्रे मार्केट’

(IPO Grey Market)

संदर्भ:

हाल ही में, विभिन्न लेखों में ‘ग्रे मार्केट’ (Grey Market) का जिक्र किया जा रहा था। व्यापारी वर्ग ग्रे मार्केट के शेयरों में काफी रुचि रखता है, क्योंकि इस तरीके से उनके लिए, किसी कंपनी के शेयरों के सूचीबद्ध होने से पहले, उनकी कीमत में उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है।

साथ ही, ‘ग्रे मार्केट’ की किसी भी गतिविधि को आमतौर पर उस दिशा के संकेतक के रूप में लिया जाता है, जिस दिशा में सूचीबद्ध होने के बाद स्टॉक की कीमत होगी। शेयरों के बाजार में जारी होने से पहले की कीमत का उपयोग, शेयरों की मांग का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है।

‘आईपीओ ग्रे मार्केट’ क्या होती है?

आम तौर पर, जब कंपनियां अपनी वृद्धि को तेज करने के लिए धन जुटाना चाहती हैं, तो वे अपने स्टॉक का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में बिक्री कर देती हैं। इस प्रक्रिया को ‘शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव / पेशकश’ (Initial Public Offering) या ‘आईपीओ’ कहा जाता है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

लेकिन, 'आईपीओ ग्रे मार्केट' (IPO grey market), ऐसी अनौपचारिक बाजार होती है, जिसमें 'आईपीओ के शेयर या आवेदन, शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होने से पहले खरीदे और बेचे जाते हैं।

इसे 'समानांतर बाजार' (Parallel Market) या 'ओवर-द-काउंटर बाजार' (Over-the-Counter Market) भी कहा जाता है।

इसकी वैधता एवं प्रशासन:

चूंकि 'आईपीओ ग्रे मार्केट' एक अनौपचारिक बाजार होती है, अतः स्वाभाविक है कि इसको विनियमित करने के लिए कोई नियम नहीं होते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI), स्टॉक एक्सचेंज और दलालों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। इनका खरीद-बिक्री, निजी तौर पर नकद रूप में होती है।

'कोस्टक दर' क्या है?

'कोस्टक रेट' (Kostak rate), आईपीओ आवेदन (IPO application) से संबंधित होती है। अतएव, किसी निवेशक द्वारा जिस दर पर, लिस्टिंग होने से पहले 'आईपीओ आवेदन' खरीदे जाते हैं, उसे 'कोस्टक रेट' या 'कोस्टक दर' कहा जाता है।

निवेशक 'ग्रे मार्केट' में व्यापार क्यों करते हैं?

जब निवेशकों को लगता है, कि किसी कंपनी के शेयरों की कीमतों में वृद्धि होने वाली है, तो इनके लिए, कंपनी के सूचीबद्ध होने से पहले ही इसके शेयर खरीदने का यह एक उत्कृष्ट अवसर होता है।

यदि कोई निवेशक, आईपीओ आवेदन के लिए निर्धारित समय सीमा से चूक जाता है या अधिक शेयर खरीदना चाहता है, तो वे आईपीओ ग्रे मार्केट में संपर्क कर सकता है।

इसमें कंपनियों के लिए क्या लाभ होता है?

कंपनियों के लिए, ग्रे मार्केट यह जानने का एक बढ़िया तरीका होती है, कि उनके शेयरों की मांग कैसी है और सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा हो सकता है।

इसके अलावा, एक 'आईपीओ ग्रे मार्केट' का इस्तेमाल, सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के स्टॉक के प्रदर्शन के बारे में जानने के लिए किया जा सकता है।

संबंधित चिंताएं:

आईपीओ ग्रे मार्केट, एक अनौपचारिक बाजार होती है, जो सेबी के अधिकार-क्षेत्र से बाहर संचालित होती है। अतः इसमें कोई गारंटी नहीं दी जाती है।

सभी लेन-देन, विश्वास और प्रतिपक्ष जोखिम (counterparty risk) के आधार पर किए जाते हैं।

इसलिए, स्टॉक टैंक हो जाने अर्थात् स्टॉक के खराब प्रदर्शन करने पर पार्टियों के लिए बहुत कम कानूनी सुरक्षा उपलब्ध होती है।

5 जी टेक्नोलॉजी

5G तकनीक, मोबाइल ब्रॉडबैंड की अगली पीढ़ी है। यह तकनीक अंततः 4G LTE कनेक्शन को प्रतिस्थापित करेगी या इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी।

5G तकनीक की विशेषताएं और लाभ:

यह तकनीक, 'मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम' (30-300 गीगाहर्ट्ज़) पर कार्य करती है, जिसके द्वारा काफी बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेज गति से भेजा जा सकता है।

5G तकनीक, तीन बैंड्स अर्थात् निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम में काम करती है।

मल्टी-जीबीपीएस ट्रान्सफर रेट तथा अत्याधिक कम विलंबता (ultra-low latency), 5G तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ताकत का उपयोग करने वाली एप्लीकेशंस का समर्थन करेगी।

5G नेटवर्क की बड़ी हुई क्षमता, लोड स्पाइक्स के प्रभाव को कम कर सकती है, जैसे कि खेल आयोजनों और समाचार कार्यक्रमों के दौरान होती है।

प्रौद्योगिकी का महत्व:

भारत की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में 5G के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

है कि एक वृद्धिशील स्टार्ट-अप समुदाय सहित 5G, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और डेटा एनालिटिक्स, अवसरों के एक नए क्षितिज को खोलने तथा डिजिटल जुड़ाव को तीव्र एवं गहन करने का वादा करता है।

5G से होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिम:

आज तक, और बहुत सारे शोध किए जाने के बाद, वायरलेस तकनीकों के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में पता नहीं लगा है।

'ऊतक तापन' (Tissue heating), रेडियोफ्रीक्वेंसी क्षेत्रों और मानव शरीर के बीच अंतःक्रिया का मुख्य तंत्र होता है। वर्तमान प्रौद्योगिकियों से रेडियोफ्रीक्वेंसी स्तर के संपर्क में आने से मानव शरीर के तापमान में नगण्य वृद्धि होती है।

जैसे-जैसे रेडियो आवृत्ति बढ़ती है, शरीर के ऊतकों में इसका प्रवेश कम होता जाता है और ऊर्जा का अवशोषण शरीर की सतह (त्वचा और आंख) तक सीमित हो जाता है।

यदि, समग्र रेडियोफ्रीक्वेंसी स्तर का संपर्क अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों से नीचे रहता है, तो, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है।

'अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर दिशानिर्देश' क्या हैं?

विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों हेतु एक्सपोजर दिशानिर्देश, दो अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा तैयार किये जाते हैं। वर्तमान में इनके द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों का कई देश पालन करते हैं:

अंतर्राष्ट्रीय गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण आयोग (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)

अंतर्राष्ट्रीय विद्युत चुम्बकीय सुरक्षा समिति के माध्यम से 'विद्युत और इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियर्स संस्थान'

(Institute of Electrical and Electronics Engineers)

ये दिशानिर्देश, प्रौद्योगिकी-विशिष्ट नहीं होते हैं। इनके द्वारा 300 GHz तक की रेडियोफ्रीक्वेंसी को कवर किया जाता है, जिसमें 5G तकनीक संबंधी आवृत्तियां भी शामिल होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास- 'अंतर्राष्ट्रीय विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र (EMF) परियोजना':

WHO द्वारा वर्ष 1996 में एक 'अंतर्राष्ट्रीय विद्युतचुम्बकीय क्षेत्र' (International Electromagnetic Fields -EMF) परियोजना की स्थापना की गई थी। यह परियोजना 0-300 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति रेंज में बिजली और चुम्बकीय क्षेत्रों के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करती है और EMF विकिरण संरक्षण पर राष्ट्रीय अधिकारियों को सलाह देती है।

शंखलिपि

(Shankhalipi)

हाल ही में, पुरातत्वविदों को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर 'शंखलिपि' (Shankhalipi) में उत्कीर्ण शिलालेख मिले हैं।

इन अभिलेखों में 'श्री महेन्द्रादित्य' का उल्लेख किया गया है, जोकि गुप्त वंश के शासक 'कुमारगुप्त प्रथम' की उपाधि थी।

नवीनतम खोजों का महत्व:

एटा में स्थित 'बिल्सड' संरक्षित स्थल पर एक दूसरे से सटे हुए दो आलंकारिक / सजावटी स्तंभ प्राप्त हुए हैं, इन स्तंभों पर मानव आकृतियां उत्कीर्ण हैं।

यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गुप्तकाल में अब तक केवल दो अन्य संरचनात्मक मंदिर-

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

दशावतार मंदिर (देवगढ़) और भितरगांव मंदिर (कानपुर देहात) – पाए गए हैं।

‘कुमारगुप्त प्रथम’ कौन थे?

कुमारगुप्त प्रथम (Kumaragupta I) ने पांचवीं शताब्दी में, उत्तर-मध्य भारत पर 40 वर्षों तक शासन किया था।

वह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी ध्रुवदेवी के पुत्र थे।

कुमारगुप्त ने अपने शासन काल में ‘अश्वमेध यज्ञ’ का आयोजन किया था।

उसने संभवतः मध्य भारत के ‘औलिकरों’ (Aulikaras) और पश्चिमी भारत के ‘त्रिकुटकों’ (Traikutakas) को अपने अधीन कर लिया था।

भितरी स्तंभ शिलालेख में दिए गए विवरण के अनुसार, उसके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ने गुप्त वंश की क्षीण हो रही प्रतिष्ठा को पुनः शीर्ष पर पहुँचाया।
प्रशासन:

कुमारगुप्त प्रथम ने ‘महाराज’ की उपाधि धारण की, और अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों (भुक्तियों) में विभाजित किया, इन भुक्तियों के लिए राज्यपालों (उपरिकस) की नियुक्ति की, और उपरिकस, राजा के प्रति निष्ठावान और उत्तरदायी होते थे।

प्रांत (भुक्ति), जिलों (विषयों) में बंटे हुए होते थे, जिनका प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट (विषयपति) द्वारा किया जाता था। विषयपतियों के लिए प्रशासन में सहायता देने के लिए एक सलाहकार परिषद होती थी, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल होते थे:

नगर अध्यक्ष या महापौर (नगर-श्रेष्ठिन)
व्यापारी संघ (सार्थवाह) के प्रतिनिधि
शिल्पकार संघ का मुखिया (प्रथम-कुलिक)
लेखकों या लिपिकों के संघ के प्रमुख (प्रथम-कायस्थ)

‘शंखलिपि’ के बारे में:

Head Office: 301/A-37,38,39, III Floor, Ansal Building Commercial Complex (Near Batra Cinema) Above Mother Dairy, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

‘शंखलिपि’ या “शेल-स्क्रिप्ट” (shell-script), अलंकृत सर्पिल वर्णों / अक्षरों को व्यक्त करती है, इस लिपि में वर्ण ‘शंख’ की तरह दिखते हैं, और इन्हें ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न माना जाता है।

इस लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख उत्तर-मध्य भारत में पाए जाते हैं और इन्हें चौथी और आठवीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। इन अभिलेखों में वर्णों / अक्षरों की संख्या काफी कम होती है, इससे इस बात का संकेत मिलता है, कि इन शिलालेखों पर शंख लिपि में किसी का नाम अथवा शुभ प्रतीक या दोनों का संयोजन उत्कीर्ण किया गया है। इस लिपि की खोज, अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1836 में उत्तराखंड के बाराहाट में पीतल के त्रिशूल पर की गई थी। जेम्स प्रिंसेप, ‘जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल’ के संस्थापक-संपादक थे।

राजनीतिक दलों को मान्यता देना / मान्यता समाप्त करना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने, जनता के पैसे का इस्तेमाल कर गणेश चतुर्थी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग करने से संबंधित याचिका पर, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और निर्वाचन आयोग से प्रतिक्रिया माँगी है।

संबंधित प्रकरण:

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में, याचिकाकर्ता द्वारा ‘संविधान’ और ‘जनप्रतिनिधित्व कानून’ का कथित जानबूझकर उल्लंघन करने के कारण ‘आम आदमी पार्टी’ (AAP) की एक पार्टी के रूप में मान्यता रद्द करने और जनता के हित में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य मंत्रियों को संवैधानिक पद से हटाने की मांग की गयी है।

राजनीतिक दलों का पंजीकरण:

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

राजनीतिक दलों का पंजीकरण (Registration of political parties) 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम' (Representation of the People Act), 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

किसी राजनीतिक दल को पंजीकरण कराने हेतु अपनी स्थापना 30 दिनों के भीतर संबंधित धारा के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम', 1951 की धारा 29A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग दिशा-निर्देश जारी करता है।

भारत के 'राष्ट्रीय राजनीतिक दल' के लिए पात्रता:

1. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किन्हीं भी चार अथवा अधिक राज्यों में होने वाले आम चुनावों अथवा विधानसभा चुनावों में होने वाले कुल मतदान के न्यूनतम छह प्रतिशत वैध मतों को हासिल करना अनिवार्य होता है।
2. इसके अलावा, इसके लिए किसी भी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा में न्यूनतम चार सीटों पर विजय प्राप्त करना चाहिए।
3. राजनीतिक दल द्वारा, लोकसभा चुनावों में कुल लोकसभा सीटों की 2 प्रतिशत (543 सदस्य की वर्तमान संख्या में से 11 सदस्य) सीटों पर जीत हासिल की गयी हो तथा ये सदस्य कम-से-कम तीन अलग-अलग राज्यों से चुने गए हों।

'राज्य स्तरीय राजनीतिक दल' के लिए पात्रता:

1. किसी राजनीतिक दल को 'राज्य स्तरीय राजनीतिक दल' के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु, राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में होने वाले मतदान

के कुल वैध मतों का न्यूनतम छह प्रतिशत हासिल करना अनिवार्य है।

2. इसके अलावा, इसके लिए संबंधित राज्य की विधान सभा में कम से कम दो सीटों पर जीत हासिल होनी चाहिए।
3. राजनीतिक दल के लिए, राज्य की विधानसभा के लिये होने वाले चुनावों में कुल सीटों का 3 प्रतिशत अथवा 3 सीटें, जो भी अधिक हो, हासिल होनी चाहिए।

लाभ:

1. 'राज्य स्तरीय राजनीतिक दल' के रूप में मान्यता प्राप्त किसी पंजीकृत दल को, संबंधित राज्य में अपने उम्मीदवारों को दल के लिये सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है।
2. 'राष्ट्रीय राजनीतिक दल' के रूप में मान्यता प्राप्त किसी पंजीकृत दल को पूरे भारत में अपने उम्मीदवारों को दल के लिये सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है।
3. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को नामांकन-पत्र दाखिल करते वक्त सिर्फ एक ही प्रस्तावक की ज़रूरत होती है। साथ ही, उन्हें मतदाता सूचियों में संशोधन के समय मतदाता सूचियों के दो सेट निःशुल्क पाने का अधिकार भी होता है तथा आम चुनाव के दौरान इनके उम्मीदवारों के लिए मतदाता सूची का एक सेट निःशुल्क प्रदान की जाती है।
4. इनके लिए, आम चुनाव के दौरान उन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा प्रदान की जाती है।
5. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आम चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों (Star Campaigner) की यात्रा का खर्च उस

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

उम्मीदवार या दल के खर्च में नहीं जोड़ा जाता है।

‘हवाना सिंड्रोम’

‘हवाना सिंड्रोम’ विभिन्न देशों में अमेरिकी खुफिया और दूतावास के अधिकारियों द्वारा कथित रूप से अनुभव किए जाने मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों को संदर्भित करता है।

इसके लक्षणों में, प्रायः बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनायी देना, मतली, चक्कर और सिरदर्द, स्मृति हानि और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में समस्याएं आदि शामिल होते हैं।

जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, कि इस बीमारी की जड़ें हवाना (क्यूबा) में हैं।

पहली बार वर्ष 2016 में, क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिकी राजनयिकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के बीमार पड़ने की खबरें सामने आईं।

मरीजों के अनुसार, उन्हें अपने होटल के कमरे या घरों में अजीब आवाजें सुनायी दीं और उन्होंने अजीब शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव किया। इसके अलावा, इनके लिए मतली, गंभीर सिरदर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्या और सुनने की क्षमता में कमी जैसे लक्षण महसूस हुए।

इसके बाद, इस रहस्यमय बीमारी को “हवाना सिंड्रोम” कहा जाने लगा।

अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन

(International Blue Flag Certification)

संदर्भ:

हाल ही में, दो अन्य भारतीय समुद्र तटों (तमिलनाडु में कोवलम और पुदुचेरी में इडेन) को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको-लेबल ‘ब्लू फ्लैग’ प्रमाणन प्रदान किया गया है।

भारत में ‘ब्लू फ्लैग’ प्रमाणन वाले समुद्र तटों की संख्या 10 हो गयी है।

संसाधनों के समग्र प्रबंधन के जरिये प्राचीन तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करने और उसका संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए यह प्रमाणन प्रदान किए गए हैं।

पिछले वर्ष ‘ब्लू फ्लैग’ प्रमाणन से सम्मानित समुद्र तटों को दोबारा इस सूची में शामिल किया गया है। ये समुद्र तट हैं:

1. शिवराजपुर-गुजरात,
2. घोघला-दीव,
3. कासरकोड-कर्नाटक
4. पदुबिद्री-कर्नाटक,
5. कप्पड-केरल,
6. रुशिकोंडा-आंध्र प्रदेश,
7. गोल्डन-ओडिशा और
8. राधानगर-अंडमान एवं निकोबार

‘ब्लू फ्लैग प्रमाणन’ क्या है?

‘ब्लू फ्लैग प्रमाणन’ 33 कड़े मानदंडों के आधार पर “डेनमार्क में पर्यावरण शिक्षा के लिए फाउंडेशन” (Foundation for Environment Education in Denmark) द्वारा प्रदान किया जाने वाला, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ‘इको-लेबल’ होता है।

समुद्र तटों तथा मरीना (marinas) के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय, गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन (The Foundation for Environmental Education– FEE) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम का आरम्भ फ्रांस में वर्ष 1985 में किया गया था तथा वर्ष 1987 से यूरोप में लागू किया गया।

वर्ष 2001 से इस कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हुआ, यह इसमें भाग लेने वाला यूरोप के अलावा पहला देश है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

साफ़ और स्वच्छ समुद्र तट, तटीय पर्यावरण के अच्छे स्वास्थ्य का एक संकेतक होता है, 'ब्लू फ्लैग प्रमाणन' भारत के संरक्षण और सतत विकास प्रयासों के लिए 'वैश्विक मान्यता' है।

समुद्र तट पर लहराता हुआ "ब्लू फ्लैग", 33 कड़े मानदंडों 100% अनुपालन और समुद्र तट के अच्छे स्वास्थ्य का संकेत होता है।

'ब्लू फ्लैग' समुद्र तट का तात्पर्य:

'ब्लू फ्लैग' समुद्र तट, एक ईको-टूरिज़्म मॉडल है, जो पर्यटकों को नहाने के लिये स्वच्छ जल, सुविधाओं, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने वाले समुद्र तटों को चिह्नित करता है।

तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा (BEAMS) कार्यक्रम

(Beach Environment and Aesthetics Management Services (BEAMS) program) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के तटीय क्षेत्रों के 'सतत विकास' के क्रम में एक अत्यधिक प्रशंसित एवं प्रमुख कार्यक्रम 'तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा' (Beach Environment and Aesthetics Management Services – BEAMS) कार्यक्रम शुरू किया है।

BEAMS कार्यक्रम के बारे में:

यह भारत के तटीय क्षेत्रों के सतत विकास के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन' (Integrated Coastal Zone Management- ICZM) दृष्टिकोण के तहत शुरू की गई एक पहल है।

इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों के समग्र प्रबंधन के जरिये प्राचीन तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना है।

कार्यक्रम के उद्देश्य:

तटीय समुद्र में प्रदूषण को कम करना,

समुद्र तटीय वस्तुओं के सतत विकास को बढ़ावा देना, तटीय पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और

स्थानीय अधिकारियों एवं हितधारकों को समुद्र तट पर जाने वालों के लिए साफ-सफाई, स्वच्छता, एवं सुरक्षा के उच्च मानकों को तटीय पर्यावरण एवं विनियमों के अनुसार बनाए रखने के लिए सख्ती से निर्देशित करना।

एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) प्रोजेक्ट क्या है?

ICZM का उद्देश्य तटीय समुदायों की आजीविका में सुधार करना और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है।

यह एक विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना है। इसके परियोजना के संदर्भ में 'सतत तटीय प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय केंद्र' (National Centre for Sustainable Coastal Management-NCSCM) ,चेन्नई, वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्रदान करेगा।

वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान ICZM की अवधारणा का उद्भव हुआ था।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा ब्लैक कार्बन उत्सर्जन पर कार्रवाई करने का आग्रह

संदर्भ:

आर्कटिक में ग्रीष्मकालीन बर्फ के अपनी 12वीं सबसे कम सीमा तक पहुंचने के साथ ही, 'स्वच्छ आर्कटिक गठबंधन' (Clean Arctic Alliance) द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन' (International Maritime Organization – IMO) की नवम्बर में

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

आयोजित होने वाली 77 वीं 'समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति' (Marine Environment Protection Committee – MEPC) अर्थात् MEPC 77 की बैठक से पहले, नौ-परिवहन / शिपिंग से होने वाले 'ब्लैक कार्बन' उत्सर्जन में तत्काल कटौती किए जाने की मांग की गयी है।

'समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति' (MEPC) के बारे में:

समुद्री पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए, एक 'अग्रसक्रिय रुख' (Proactive Stance) अपनाए जाने को सुनिश्चित करने हेतु 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन' (IMO) द्वारा 'समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति' (Marine Environment Protection Committee – MEPC) की स्थापना की गयी है।

इस समिति का उद्देश्य, समुद्री क्षेत्रों में जहाजों के निरंतर और भारी यातायात के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान प्रदान करना है।

समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति' अपनी बैठकों में MARPOL संबंधी मौजूदा शर्तों और दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव भी करती है।

इस पर्यावरण संरक्षण संगठन द्वारा 'विशेष रूप से संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों (Particularly Sensitive Sea Areas – PSSA) तथा अन्य विशेष समुद्री क्षेत्रों का निर्धारण और प्रवर्तन करने पर भी ध्यान दिया जाता है।

'ब्लैक कार्बन' क्या है?

यह जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन के माध्यम से उत्पन्न होता है, और मानवजनित और प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली कालिख, दोनों से फैलता होता है।

ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन के विपरीत, यह स्थानीय स्रोतों से उत्पन्न होता है, और

इसका स्थानीय क्षेत्रों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

डीजल इंजन, खाना पकाने वाले चूल्हे (cooking stoves), लकड़ी जलाने और वनाग्नि से होने वाला उत्सर्जन 'ब्लैक कार्बन' का प्रमुख स्रोत होता है।

ब्लैक कार्बन, एक अल्पकालिक प्रदूषक है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के बाद पृथ्वी को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

(Ayushman Bharat PM-JAY)

विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana: AB-PMJAY) को तीन साल पूरे हो गए हैं। यह योजना 23 सितंबर, 2018 को शुरू की गयी थी।

PM-JAY की प्रमुख विशेषताएं:

1. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा / आश्वासन योजना है।
2. यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की धन राशि लाभार्थियों को मुहैया कराती है।
3. **कवरेज:** 74 करोड़ से भी अधिक गरीब व वंचित परिवार (या लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
4. इस योजना में सेवा-स्थल पर लाभार्थी के लिए कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

5. AB-PMJAY योजना को पूरे देश में लागू करने और इसके कार्यान्वयन हेतु 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण' (National Health Authority – NHA) नोडल एजेंसी है।
6. यह योजना, कुछ केंद्रीय क्षेत्रक घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

योजना के अंतर्गत पात्रता:

1. इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है।
2. इस योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों और गम्भीर बीमारियों को पहले दिन से ही शामिल किया जाता है।
3. इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होती हैं।
4. यह एक पोर्टेबल योजना है यानी की लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकते हैं।
5. इस योजना में लगभग 1,393 प्रक्रियाएँ और पैकिज शामिल हैं जैसे की दवाइयाँ, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएँ, चिकित्सकों की फीस, कमरे का शुल्क, ओ-टी और आई-सी-यू शुल्क इत्यादि जो मुफ्त उपलब्ध हैं।
6. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों की प्रतिपूर्ति सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर की जाती है।

नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार:

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) कार्यक्रम जिन राज्यों में लागू किया गया, वहां स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। PM-JAY लागू करने वाले राज्यों में, योजना से अलग रहने वाले राज्यों की तुलना में, स्वास्थ्य बीमा का अधिक विस्तार, शिशु

और बाल मृत्यु दर में कमी, परिवार नियोजन सेवाओं के उपयोग में सुधार और एचआईवी / एड्स के बारे में अधिक जागरूकता आदि का अनुभव किया गया।

PM-JAY लागू करने वाले राज्यों में स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों के अनुपात में 54% की वृद्धि हुई, जबकि योजना से अलग रहने वाले राज्यों में 10% की गिरावट दर्ज की गयी है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' क्या है?

सरकार द्वारा, राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम (National Programme for Bovine Breeding and Dairy Development – NPBBDD) के तहत दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और विकास हेतु वर्ष 2014 में 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' शुरू किया गया था।

मिशन के प्रमुख उद्देश्य:

1. दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण।
2. स्वदेशी पशुओं के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम। इससे पशुओं में अनुवांशिक सुधार और पशुओं की संख्या में वृद्धि संभव होगी।
3. दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश।
4. साहीवाल, राठी, देउनी, थारपारकर, रेड सिन्धी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाना।
5. प्राकृतिक सेवा के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों का वितरण।

योजना का कार्यान्वयन:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन राज्यों के पशुधन विकास बोर्ड जैसे संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

- राज्य गौसेवा आयोग को 'राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (State Implementing Agency-SIA) के तहत 'पशुधन विकास बोर्ड' के प्रस्ताव को प्रायोजित करने और इन प्रायोजित प्रस्तावों की निगरानी का आदेश दिया गया है।
- स्वदेशी पशु विभाग में सर्वश्रेष्ठ जर्मप्लाज्म सहित महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एजेंसियों, जैसे CCBF, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि या पशुपालन विश्वविद्यालय, कॉलेज, एनजीओ, सहकारी समितियां और गौशालाएं इसमें प्रतिभागी एजेंसियां हैं।

गोकुल ग्राम क्या हैं?

गोकुल ग्राम देशी पशु केंद्र और अधिनियम स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं।

इस योजना के लिए फंड एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र, गोकुल ग्राम की स्थापना के लिए दिया जाता है।

गोकुल ग्राम मूल प्रजनन इलाकों और शहरी आवास के लिए मवेशियों के पास महानगरों में स्थापित किये जाते हैं।

गोकुल ग्राम की भूमिका एवं दायित्व:

- गायों के प्रजनन क्षेत्र में किसानों को उच्च आनुवंशिक प्रजनन स्टॉक की आपूर्ति के लिए एक भरोसेमंद स्रोत है। गोकुल ग्राम किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र में आधुनिक सुविधाएं देता है।
- 1000 जानवरों की क्षमता वाले इन गोकुल ग्रामों में दुग्ध उत्पादक और अनुत्पादक पशुओं का अनुपात 60:40 होता है।
- गोकुल ग्राम, पशुओं के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर में चारा उत्पादित करने के लिए बनाये गए हैं।
- गोकुल ग्राम वास्तव में एक आर्थिक संस्थान की तर्ज पर विकसित किया गया है, जिसमें

निम्नलिखित वस्तुओं की बिक्री के जरिए आर्थिक संसाधन पैदा किया जा रहे हैं: दूध जैविक खाद केंचुआ-खाद मूत्र डिस्टिलेट घरेलू खपत के लिए बायो गैस से बिजली का उत्पादन पशु उत्पादों की बिक्री आदि।

- महानगरीय गोकुल ग्राम में शहरी मवेशियों के आनुवंशिक उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।

सुंदरबन के लिए मानवीय गतिविधियों से खतरा

नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार, भारतीय सुंदरबन में आबादी वाले क्षेत्रों की सीमाओं से सटे क्षेत्रों में जैव-विविधता का निरंतर नुकसान देखा जा रहा है।

मुद्दे और चुनौतियां:

- तटीय विकास या अल्पकालिक लाभ के लिए अंधाधुंध विनाश किए जाने की वजह से मैंग्रोव के छोटे-छोटे टुकड़े धीरे-धीरे और चुपचाप खत्म होते जा रहे हैं।
- इन क्षेत्रों को कई दुर्लभ और संकटग्रस्त वनस्पतियों और जीवों के समृद्ध आवास के रूप में देखा जाता है।
- तटरेखीय मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के निरंतर नष्ट होने की वजह से, दुर्लभ प्रजातियों के लिए खंडित और संवेदनशील मैंग्रोव आवास शेष बचे हैं, जिससे इनके संचरण और प्रसार में बाधा पहुँच रही है।
- जैव विविधता के इस अपरिवर्तनीय नुकसान की अक्सर उपेक्षा की जाती है, जिसकी 'जमे हुए वृक्ष को काटो और नए को लगाओं' (cut the established and plant the new) सिद्धांत से कभी भी भरपाई नहीं की जा सकती।

आवश्यकता:

सुंदरबन, झींगा पालन जलाशयों से प्रदूषित निस्सरण किए जाने से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए, झींगा-पालन कृषि को लोकप्रिय बनाने के बजाय, यदि स्वदेशी मछली पकड़ने की गतिविधियों को अधिक

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

प्रोत्साहित किया जाता है, तो संकटग्रस्त तटीय जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है और साथ ही तटीय निवासियों को आजीविका के विकल्प भी प्रदान किए जा सकते हैं।

भारतीय सुंदरवन के बारे में:

1. सुंदरवन के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सैकड़ों द्वीप और नदियों, सहायक नदियों का एक नेटवर्क शामिल है, तथा यह भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है।
2. डेल्टा के दक्षिण-पश्चिमी भाग पर स्थित, भारतीय सुंदरवन, देश के कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र के 60 प्रतिशत से अधिक है।
3. भारत में सुंदरवन 27 वां रामसर स्थल है तथा 4,23,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विस्तृत देश में सबसे बड़ी संरक्षित आर्द्रभूमि है।
4. भारतीय सुंदरवन, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है तथा रॉयल बंगाल टाइगर का वास-स्थल है।
5. यह जंगली मुर्गी, विशाल छिपकली, चित्तीदार हिरण, जंगली सूअर, मगरमच्छ आदि जैसे कई अन्य वन्य पशुओं का भी प्राकृतिक निवास स्थान है। साइबेरियाई बतख खानाबदोश मौसम के दौरान यहां आते हैं। सुंदरवन विलुप्तप्राय प्रजातियों जैसे बटागुर बसका, किंग क्रैब और ऑलिव रिडल कछुए का निवास स्थान भी है।

पीएम केयर्स (PM-CARES)

हाल ही में, केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए कहा है, कि पीएम केयर्स (PM CARES) फंड “भारत सरकार का कोष नहीं है और इसकी राशि ‘भारत के समेकित कोष’ में शामिल नहीं की जाती है”।

पृष्ठभूमि:

केंद्र सरकार द्वारा यह हलफनामा, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक याचिका के प्रत्युत्तर में दिया गया।

उक्त याचिका में, PM CARES फंड को ‘सूचना के अधिकार’ (RTI) अधिनियम के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ घोषित करने की मांग की गई थी।

सरकार द्वारा दिया गया जबाब:

भले ही, ‘न्यास’ (Trust) भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की व्याख्या के भीतर एक “राज्य” या अन्य ‘प्राधिकरण’ समझा जाता है, और यह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2[h], सामान्य रूप से अधिनियम की धारा 8 और उपबंध [e] और [j] में निहित प्रावधानों के तहत आता है, किंतु ‘सूचना का अधिकार अधिनियम’ के तहत, किसी तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं है। और, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ट्रस्ट द्वारा प्राप्त धन के उपयोग के विवरण के साथ, एक ऑडिट रिपोर्ट ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाती है।

PM-CARES के बारे में:

आपातकालीन स्थिति में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund : PM-CARES Fund) का गठन, कोविड-19 महामारी, और इसी प्रकार की अन्य आपात स्थितियों के दौरान, दान स्वीकार करने और राहत प्रदान करने के लिए किया गया था।

पीएम केयर्स फंड के बारे में:

PM CARES फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को ‘पंजीकरण अधिनियम, 1908’ के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गयी थी।

यह विदेशी अंशदान से प्राप्त दान का लाभ उठा सकता है और इस निधि में दिया जाने वाला दान 100% कर-मुक्त होता है।

PM-CARES, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से अलग है।

फंड का प्रबंधन कौन करता है?

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

प्रधानमंत्री, PM CARES फंड के पदेन अध्यक्ष और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार निधि के पदेन न्यासी होते हैं।

डार्क एनर्जी संदर्भ:

हाल ही में, शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने पहली बार प्रत्यक्ष 'डार्क एनर्जी' (Dark Energy) का पता लगाया है।

शोधकर्ताओं ने XENON1T प्रयोग करने के दौरान कुछ अप्रत्याशित परिणाम देखे और इसका कारण 'डार्क एनर्जी' होने की संभावना व्यक्त की।

'डार्क एनर्जी' क्या है?

अब तक जितना कुछ ज्ञात है उससे कहीं अधिक अज्ञात है। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में कितनी डार्क एनर्जी मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड के विस्तार को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसके अलावा, 'डार्क एनर्जी' एक पूर्ण रहस्य है। किंतु यह एक अति महत्वपूर्ण रहस्य है, क्योंकि ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा 'डार्क एनर्जी' से ही बना हुआ है।

'डार्क एनर्जी', डार्क मैटर से किस प्रकार भिन्न है?

हम जो कुछ भी देखते हैं – ग्रह, चंद्रमा, विशाल आकाशगंगाएँ – यह ब्रह्मांड का 5% से भी कम हिस्सा है। पूरे ब्रह्मांड में, लगभग 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है।


'डार्क मैटर' (Dark Matter), आकाशगंगाओं को परस्पर आकर्षित करता है और एक साथ जोड़कर रखता है, और 'डार्क एनर्जी' हमारे ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनती है।

XENON1T प्रयोग के बारे में:

यह विश्व का सबसे संवेदनशील 'डार्क मैटर' प्रयोग है, और इसे इटली की 'INFN लेबोरेटोरी नाज़ियोनाली डेल ग्रान सासो' (INFN Laboratori Nazionali


'डार्क एनर्जी' ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है, जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत व्यवहार करते हुए एक नकारात्मक, प्रतिकारक दबाव को दर्शाती है।

यह, हमारे ब्रह्मांड के विस्तार की दर को धीमा करने के बजाय समय के साथ तेज कर रही है, जोकि बिग बैंग से उत्पन्न हुए ब्रह्मांड से जो अपेक्षा की जा सकती है, उसके ठीक विपरीत है।



The diagram shows changes in the rate of expansion since the observed first 15 billion years ago. The lines follow the curve of the rate of expansion. The rate changes noticeably about 5 billion years ago, when objects in the universe began being torn at a faster rate. Astronomers theorize that the faster expansion rate is due to a mysterious dark force that is pushing galaxies apart.

डार्क मैटर के अस्तित्व का संकेत 1920 के दशक में मिल गया था, जबकि 'डार्क एनर्जी' की खोज वर्ष 1998 तक नहीं हुई थी।



del Gran Sasso) में भूमिगत रूप से काफी गहराई में संचालित किया जा रहा है। इस प्रयोग में, दोहरे चरण (तरल/गैस) वाली ज़ीनान (XENON) तकनीक का उपयोग किया गया है।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत:

भौतिकी के प्रमुख सिद्धांतों में 'डार्क एनर्जी' को अंतरिक्ष का एक विशिष्ट गुण माना जाता है। 'अल्बर्ट आइंस्टीन' यह समझने वाले पहले व्यक्ति थे कि अंतरिक्ष मात्र खाली जगह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि, अंतरिक्ष का विस्तार होना भी जारी रह सकता है। अन्य वैज्ञानिकों के विचार में ब्रह्माण्ड स्थिर था, इसे देखते हुए, आइंस्टीन ने अपने 'सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत' (Theory of General Relativity) में, 'ब्रह्माण्ड संबंधी स्थिरांक' को शामिल किया था।

हबल दूरबीन से ब्रह्माण्ड के विस्तारित होने की जानकारी मिलने के बाद, आइंस्टीन ने अपने 'स्थिरांक' को अपनी "सबसे बड़ी भूल" कहा।

लेकिन, आइंस्टीन की यह भूल 'डार्क एनर्जी' को समझने के लिए सबसे उपयुक्त हो सकती है। यह अनुमान लगाते हुए कि 'रिक्त स्थान' की भी अपनी ऊर्जा हो सकती है, आइंस्टीन के 'स्थिरांक' इंगित करता है कि जैसे-जैसे अंतरिक्ष का निर्माण होता जाता है, ब्रह्माण्ड में अधिक ऊर्जा जुड़ती जाएगी, और इसका विस्तार होता जाएगा।

'सरकार से सहायता प्राप्त करने का अधिकार' और मौलिक अधिकार

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, किसी संस्थान को सरकारी सहायता दिया जाना नीतिगत मामला है, और 'सरकार से सहायता प्राप्त करने का अधिकार' मौलिक अधिकार नहीं है।

संबंधित प्रकरण:

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय' के वर्ष 2018 में दिए गए एक फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई के दौरान दिया है। 'इलाहाबाद उच्च

न्यायालय' ने अपने फैसले में 'इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम', 1921 के अंतर्गत बनाए गए एक विनियमन को असंवैधानिक बताया था। शीर्ष अदालत ने, हाईकोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया है।

न्यायालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां:

1. सहायता अनुदान के साथ कुछ शर्तें भी होती हैं, अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान जिनका पालन करने के लिए बाध्य होता है। यदि कोई संस्थान इन शर्तों को स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो वह अनुदान को अस्वीकार कर सकता है लेकिन यह नहीं कह सकता कि अनुदान उसकी शर्तों पर दिया जाना चाहिए।
2. सहायता प्रदान करने का निर्णय, नीतिगत निर्णय होता है। इस प्रकार के निर्णय करते समय, सरकार न केवल संस्थानों के हित, बल्कि इसका उपयोग किए जाने की क्षमता के बारे में विचार करती है।
3. जहां तक 'सहायता प्राप्त संस्थानों' का संबंध है, अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 30, अनुदान के संबंध में यथोचित एवं तर्कसंगत होने का प्रतिबंध लगाता है।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 30(1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, लेकिन इसमें नस्ल, जातीयता पर आधारित अल्पसंख्यकों को मान्यता नहीं दी गयी है।

इसमें, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को मान्यता दी गयी है, वास्तव में, अनुच्छेद 30(1), विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को मान्यता देता है।

बहुसंख्यक समुदाय द्वारा भी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन किया जा सकता है लेकिन इनके लिए अनुच्छेद

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

30(1)(a) के तहत विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों को प्राप्त विशेष अधिकार:

1. अनुच्छेद 30(1)(a), के तहत, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (MEI) को 'शिक्षा का अधिकार' मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। यदि किसी कारणवश, किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की परिसंपत्तियों का राज्य द्वारा अधिग्रहण किया जाता है, तो संस्था को अन्यत्र स्थापित करने के लिए उचित मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।
2. अनुच्छेद 15(5) के तहत, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (MEI) में आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
3. 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' के तहत, 'अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों' को समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 25% नामांकन के तहत 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं होती है।
4. 'सेंट स्टीफंस' बनाम 'दिल्ली विश्वविद्यालय' मामले, 1992 में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, 'अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों' में अल्पसंख्यकों के लिए 50% सीटें आरक्षित हो सकती हैं।
5. वर्ष 2002 के 'टीएमए पीई और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य' मामले में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, 'अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों' में निष्पक्षता, पारदर्शिता और योग्यता आधारित एक अलग प्रवेश प्रक्रिया हो सकती है। ये संस्थान अपनी 'शुल्क संरचना' भी अलग से निर्धारित कर सकते हैं लेकिन इसमें कैपिटेशन शुल्क शामिल नहीं होना चाहिए।

सरकारी उधारी

(Government Borrowing)

Head Office: 301/A-37,38,39, III Floor, Ansal Building Commercial Complex (Near Batra Cinema) Above Mother Dairy, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

महामारी प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु 'राजस्व अंतर' को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 5.03 लाख करोड़ रुपये उधार लिए जाएंगे।

सरकार द्वारा पहली छमाही के दौरान 'बांड' जारी कर 7.02 लाख करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं।

पृष्ठभूमि:

सरकार, 'दिनांकित प्रतिभूतियों' और 'ट्रेजरी बिलों' के माध्यम से अपने वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से धन जुटाती है।

बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, जोकि वित्त वर्ष 2021 के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के 9.5 प्रतिशत से कम है।

'सरकारी उधारी' क्या है?

यह उधारी, सरकार द्वारा लिया गया एक ऋण होती है, जो बजट दस्तावेज में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आती है।

सामान्यतः सरकार, सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल को जारी करके बाजार से ऋण लेती है।

बढ़ी हुई सरकारी उधारी सरकार के वित्त को कैसे प्रभावित करती है?

सरकार के राजकोषीय घाटे के भारी बोझ, उसके पिछले कर्ज पर देय ब्याज के कारण होता है।

यदि सरकार अनुमानित राशि से अधिक ऋण लेती है, तो इसकी ब्याज लागत भी अधिक होगी, जो अंततः राजकोषीय घाटे को प्रभावित करती है और सरकार के वित्त को हानि पहुंचाती है।

बड़े उधारी कार्यक्रम के कारण सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होती है और विशेष रूप से ऐसे समय में जब जीडीपी की वृद्धि दर नियंत्रित हो तो यह एक उच्च ऋण-जीडीपी अनुपात को दर्शाती है।


CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

‘ऑफ-बजट ऋण’ क्या होता है?

‘बजटेतर ऋण / ऑफ-बजट ऋण’ (Off-budget borrowing), केंद्र सरकार के निर्देश पर किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा लिए गए ऋण होते हैं। इस प्रकार के ऋण सीधे केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिए जाते हैं।

इस प्रकार के ऋणों का उपयोग सरकार की व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। चूंकि, इन ऋणों की देयता जिम्मेवारी औपचारिक रूप से केंद्र पर नहीं होती है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाता है। इससे देश के राजकोषीय घाटे को एक स्वीकार्य सीमा के भीतर सीमित रखने में सहायता मिलती है।

महत्वपूर्ण जलवायु शिखर सम्मेलन



CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-5

वस्त्र उद्योग के लिए 'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के लिए 10,683 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme – PLI Scheme) शुरू की गयी है।

यह PLI योजना केंद्रीय बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए पहले घोषित की गई 1.97 लाख करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय वाली 'पीएलआई योजनाओं' का हिस्सा है।

फोकस क्षेत्र:

वस्त्र उद्योग के लिए 'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' योजना (PLI scheme) का उद्देश्य उच्च मूल्य के मानव निर्मित रेशों (Man-Made Fibre – MMF) से बने कपड़े, परिधानों और तकनीकी वस्त्रों (Technical Textiles) के उत्पादन को बढ़ावा देना है।

अहर्ता:

कोई भी व्यक्ति (जिसमें फर्म/कंपनी शामिल है), जो निर्धारित खंडों (एमएमएफ फैब्रिक्स, गारमेंट) के उत्पादों और तकनीकी वस्त्र के उत्पादों के उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और निर्माण कार्यों (भूमि और प्रशासनिक भवन की लागत को छोड़कर) में न्यूनतम 300 करोड़ रुपये निवेश करने को तैयार है, वह इस योजना के पहले भाग में भागीदारी के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।

दूसरे भाग में, कोई भी व्यक्ति (जिसमें फर्म/कंपनी शामिल है), जो न्यूनतम 100 करोड़ रुपये निवेश करने का इच्छुक है, वह योजना के इस भाग में भागीदारी के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।

प्रोत्साहन राशि:

PLI योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा वृद्धिशील उत्पादन पर प्रोत्साहन देकर पात्र निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सिविल कार्यों में 300 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को अपने टर्नओवर का 15 प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा। इस टर्नओवर को निवेश करने तीसरे वर्ष में 600 करोड़ रुपये होना चाहिए।

100 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये के बीच निवेश करने वाली कंपनियां भी शुल्क वापसी और प्रोत्साहन (उनके कारोबार के 15 प्रतिशत से कम) प्राप्त करने की पात्र होंगी।

इस योजना से सरकार को "19,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश और 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संचयी कारोबार" प्राप्त करने की उम्मीद है। महत्व:

पीएलआई योजना, घरेलू विनिर्माण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी, और 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना के अनुरूप वैश्विक बाजारों में एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए वस्त्र उद्योग को तैयार करेगी। यह योजना इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने में भी मदद करेगी

आवश्यकता:

वस्त्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दो-तिहाई, मानव निर्मित और तकनीकी वस्त्रों का है। भारत को मानव निर्मित फाइबर (MMF) से बने वस्त्रों और वस्त्र उद्योग के पारिस्थितिकी तंत्र में भी योगदान करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से इस योजना को मंजूरी दी गई है।